न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 61/2025 बउनवानी धारा सत्याभाई मीना बनाम तहसीलदार मित्रपुरा
निवासी ग्राम बपूई तहसील मित्रपुरा

Appeal Number-321893081724181

GCMS No-2025/ 170

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

29.7.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" बपूई से जटलाव रोड के निर्माण कार्य में अतिकमण संबंधी समस्या के लिए सहायक अभियंता सा0नि0वि0 उपखण्ड बौंली द्वारा तहसील मित्रपुरा मे कब कब पत्र भेजा गया सबकी प्रति सहित कुल 6 बिन्दुओं की सूचना। "* तहसीलदार मित्रपुरा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूंचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा के पत्रांक/आरटीआई/2025/727 दिनांक 25.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.4.2025 के बिन्दु संख्या 3 लगायत 5 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना सा0नि0विभाग से प्राप्त करने बाबत तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जाने के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 लगायत 5 में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायीं जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 1,2,6 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
ज़िला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner